

समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला आपूर्ति शाखा)

आदेश

सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 12/बजट दिनांक 19.02.2015 द्वारा मुख्य शीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, लघु शीर्ष 102 सिविल पूर्ति योजना, मांग संख्या-18, उप शीर्ष 0004 पी0डी0एस0 सिस्टम के कम्प्यूटरीकरण, ईकाई 2801 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ विपन्न कोड संख्या 3456001020004 गैर योजना के अन्तर्गत वित्तिय वर्ष 2014-15 में व्यय के लिए मो0 675000.00 (छः लाख पचहतर हजार) रुपये का आवंटन पाँच (5) माह हेतु प्राप्त हुआ है, जिसे निम्न प्रकार उपावंटित किया जाता है:-

क्र0	उपावटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	प्रति माह दर	उपावंटित की अवधि	कुल उपावंटित राशि (3x4)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा	9000.00	(5) माह	45000.00	
2	अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	9000.00	(5) माह	45000.00	
3	अंचल अधिकारी, मधेपुरा	9000.00	(5) माह	45000.00	
4	अंचल अधिकारी, घैलाढ़	9000.00	(5) माह	45000.00	
5	प्रखंड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	9000.00	(5) माह	45000.00	
6	प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर	9000.00	(5) माह	45000.00	
7	प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	9000.00	(5) माह	45000.00	
8	प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुमारखंड	9000.00	(5) माह	45000.00	
9	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	9000.00	(5) माह	45000.00	
10	प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	9000.00	(5) माह	45000.00	
11	प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	9000.00	(5) माह	45000.00	
12	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	9000.00	(5) माह	45000.00	
13	प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	9000.00	(5) माह	45000.00	
14	अंचल अधिकारी, चौसा	9000.00	(5) माह	45000.00	
15	प्रखंड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	9000.00	(5) माह	45000.00	
कुल योग:-				675000.00	


मो0 छः लाख पचहतर हजार रु0 मात्र

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक 8025 दिनांक 21.05.2013 द्वारा दिये गये अद्यतन दिशा निर्देश तथा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में समय-समय निर्गत अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को अधिकतम एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन किया जा सकता है।


3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय पूर्णतः वित्तिय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद् संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में सम्बद्ध कर्मियों को बैंक खाता के माध्यम से भुगतान की जायेगी।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह में निकासी एवं व्यय की गई राशि की इकाईवार विवरण अगले माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध करायेगे, ताकि समेकित प्रतिवेदन विभाग को भेजा जा सकें। अन्यथा व्यय संबंधी किसी भी गड़बड़ी के लिए वे पूर्णतः जबावदेह होंगे।

इस आदेश की सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।



जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा।
26/02/15



अपर समाहर्ता,
मधेपुरा।



जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....216...../आ0 मधेपुरा दिनांक.....27-02-15.....

- प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि:- प्रखंड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर/सिंहेश्वर/गम्हरिया कुमारखंड/ मुरलीगंज/ उदाकिशुनगंज/ ग्वालपाड़ा/ बिहारीगंज/ पुरैनी/ आलमनगर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी, मधेपुरा/ चैलाढ़/चौसा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग संरक्षण विभाग, बिहार पटना को उनके पत्रांकत्रांक 12/बजट दिनांक 19.02.2015 के क्रम में सूचनार्थ समर्पित।


जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा।
26.2.15
26/02/15


अपर समाहर्ता,
मधेपुरा।


जिलाधिकारी,
मधेपुरा।